आदेश की कम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

30/12/20

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

विविध वाद संख्या 137/2019–2020

(भूदान पत्र–दान पत्र संपुष्टि)

आदेश

दाता श्री हरि नारायण सिंह, पिता–सहदेव सिंह, ग्राम–नगवॉ, थाना–किंजर, जिला–अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्ट हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान–यज्ञ–दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान–यज्ञ–दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
871	–	01 धूर	उतर–देवनंदन सिंह दक्षिण–सीतलाल सिंह पूरब–पईन पश्चिम–बॉध

मौजा–नगवॉ, थाना नं०–50, थाना–किंजर, अंचल–करपी, जिला–अरवल

भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। दाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 843 दिनांक 31.12.2019 से अंचल अधिकारी, करपी के माध्यम से नोटिस तामिला कराया गया। दाता के तरफ से कोई उपस्थित नही हुए और न ही किसी प्रकार का आपति दर्ज की गई। अंचल अधिकारी, करपी द्वारा जॉच प्रतिवेदन दिनांक 29.12.2020 को समर्पित किया गया।

भूदान यज्ञ–दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, करपी के जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। भूदान यज्ञ दान पत्र पर दाता का हस्ताक्षर है एवं गवाह में शिव लखन सिंह एवं श्री नारायण सिंह का हस्ताक्षर है। वर्णित भूमि दिनांक 07.03.1954 में दान पत्र के माध्यम से दान दिया गया है। अंचल अधिकारी, करपी ने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि ग्राम–नगवॉ में उच्चतम खाता संख्या–385 है जबकि दान पत्र में खाता संख्या–871 दर्ज है। भूमि रैयति खाते की है एवं भूमि का किस्म धनहर है। प्रस्तावित भूमि भूहदबंदी, गैरमजरूआ खास, कैसरे हिन्द, मंदिर, मस्जिद, श्मशान, चिरारी आदि से मुक्त है।

भूदान भूमि वितरण जॉच आयोग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) के पत्रांक 1050 दिनांक 28.12.2020 में उल्लेख है कि वैसे दान पत्र जिसमें खाता संख्या, मौजा अंकित है, लेकिन खेसरा अंकित नही है वैसे दान पत्र में संपुष्टि की कार्यवाई की जायेगी क्योंकि सम्पुष्टी के पश्चात् जमीन को चिन्हीत करना संभव है। अंचल अधिकारी, करपी के द्वारा जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि मौजा–नगवॉ में उच्चतम खाता संख्या–385 है जबकि दान पत्र में खाता संख्या–871 अंकित है। अतः अंचल अधिकारी, करपी के जॉच प्रतिवेदन के आलोक में दान पत्र में वर्णित भूमि को असंपुष्टि की जाती है। इसकी एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल एवं अंचल अधिकारी, करपी को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

30/12/20

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

30/12/20

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।